मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 37–2/2020/20–3 | भोपाल, दिनांक 31/12/2020

//परिपत्र//

विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.05.2020 द्वारा ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय जिनको मान्यता 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई है, उन्हें मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रक्रिया से छूट प्रदान करते हुए विद्यालयों की मान्यता दिनांक 31 मार्च 2021 तक की समयावधि हेतु यथावत मान्य किया गया था।

2/ राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक/राशिके/आरटीई/2020/6225 दिनांक 14.12.2020 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए निःशुल्क एव बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के तहत संचालित ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों हेतु नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण हेतु एनआईसी के आरटीई पोर्टल पर दिनांक 18.12.2020 से 18.01.2021 तक ऑनलाइन आवेदन करने हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है।

3/ वर्तमान कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत अशासकीय संस्थाओं को होने वाली कठिनाइंया एव छात्रहित को ध्यान मे रखते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 21 मे प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते है

3.1 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के तहत प्रदेश मे संचालित ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय को मान्यता नवीनीकरण हेतु वर्तमान में प्रचलित प्रकिया से छूट प्रदान करते हुए उक्त विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण को दिनांक 31 मार्च 2022 तक की समयावधि हेतु यथावत मान्य किया जाए।

3.2 शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए नवीन मान्यता एव कक्षा वृद्धि हेतु जिन शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 के अनुसार आरटीई मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया गया है उनका निराकरण नियम मे विहित प्रक्रिया अनुसार निराकृत किया जाए।

3.3 उपयुक्तानुसार ऐसी समस्त संस्थाओं को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 मे वर्णित विद्यालय संचालन हेतु आवश्यक मापदण्डों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

निर्देशानुसार समस्त संबधितो द्वारा उक्त निर्देशो के पालन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

31.12.20

(के.के.द्विवेदी)
उप सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

अध्यक्ष
एलीट एकेडमीक
डेवलपमेन्ट एण्ड
रिसर्च सोसायटी

Principal
Boson International School
Ujjain (M.P.)

Due to covid M.P. Gov. has extended all affiliation for one year automatica

(5)

प्ररूप 2 (नियम 11 (4) देखिए)

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान

Principal
Boson International
Ujjain (M.P.)

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (UJJAIN), मध्यप्रदेश

दूरभाष:- फैक्स: ई-मेल:

क्र./21128686/स्कूल आई.डी. - 43608 दिनांक:- 04/02/2018

प्रबंधक,

(BOSON INTERNAIONAL SCHOOL)

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 30/06/2017 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -BOSON INTERNAIONAL SCHOOL, ENGINEERING COLLAGE ROAD MALANWASA UJJAIN को कक्षा Nursery से कक्षा 8 तक के लिए दिनांक 01/04/2018 से 31/03/2021 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी:-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते कि जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्रि-स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहां अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्रि-स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
    - (क) आयु के सबूत के अभाव में;
    - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात ऐसा प्रवेश चाहा गया है,
    - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
    - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी-कक्षा में रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
    - किसी बालक को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
    - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
    - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
    - अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त/विशेश आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
    - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्ते कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी ;
    - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
    - प्रायवेट टीचिंग की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
- स्कूल समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
- अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

अध्यक्ष
एलीट एकेडमीक
डेवलपमेन्ट एण्ड
रिसर्च सोसायटी

Principal
Boson International School

- स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयी:-

सुविधाएँ	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
स्कूल के भवन की स्थिति	किराए का भवन	स्वयं का भवन
स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	65340	67000
स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	20000	20000
खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	40000	40000

अधोसंरचना का विवरण

कक्ष	Rooms as per RTE	पोर्टल में दर्ज संख्या	पोर्टल में दर्ज औसत आकार (वर्ग फीट में)	वास्तविक स्थिति संख्या	वास्तविक स्थिति औसत आकार (वर्ग फीट में)
कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष		12	300	12	300
कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष		3	200	3	200
भोजनालय-सह-भण्डार		0	0	0	0

अन्य सुविधाएँ	पोर्टल में दर्ज	वास्तविक स्थिति
क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है हां/नहीं	हाँ	हाँ
पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
पुस्तकों की संख्या	4007	300
पत्रिकाएं/समाचार पत्र	4	2
पेयजल सुविधा का प्रकार	Tube Well	Tube Well
पेयजल सुविधा की संख्या	1	1
शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/नहीं)	Both Indian & Western	Both Indian & Western
लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	10	10
लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	10	10
विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	1	1
क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हां/नहीं	हाँ	हाँ

लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट व्दारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।

आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..21128686.. एवं डाईसकोड (DISE) 23210705118 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।

ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल व्दारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी व्दारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।

सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।

अन्य शर्तें संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी।

अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

भवदीय,

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला UJJAIN मध्यप्रदेश

अध्यक्ष
एलीट एकेडमीक डेवलपमेन्ट एण्ड रिसर्च सोसायटी

Saxena
Principal
Boson International School
Ujjain (M.P.)